

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 220/2024

अनवान : -

1. अरविन्द कुमार
2. सीताराम

पि० देवीदत्त जाति बिश्नोई निवासी 1 एफ.टी.पी.बी. ढाणी
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम्

1. देवीदत्त पुत्र गंगाबिशन जाति बिश्नोई निवासी 1 एफ.टी.पी.बी ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. बिमला देवी पत्नी गंगाबिशन जाति बिश्नोई निवासी 1 एफ.टी.पी.बी ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3. अनिल कुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
4. सुनील कुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
5. विमला पत्नी श्यामसुन्दर जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा

88 , राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955




डिक्री

दिनांक... 16/10/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री जयनारायण शर्मा अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 1 एफ.टी.पी.बी जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 53/42 में 3.4150 है० में 2/3 हिस्सा व खाता स. 54/43 प.न. 210/232 मु.न. 14 कि.न. 16/1/0.2280, 16/2/0.0250 है. स. 54/43 के वादीगण को ब.0हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है. आराजी एफ. टी. पी. बी जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स. 54/43 में दर्ज 0.5060 है. आराजी का खाता प्रतिवादीगण से अलग तकसीम किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन

परते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे।
मालदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन
मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/10/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी
की गई।




(सहायक कलेक्टर राजस्व)
सहायक अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी